आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री महावीर प्रसाद न्यायिक सदस्य तथा

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 447 /इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2014-15

आयकर उपायुक्त 1(1), इंदौर	बनाम	श्री आनंदराम होटचंद, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएचपीएच 4516 एम		

प्रत्याक्षेप सं. 22/इंदौर/2019

(आ.अ.सं. 447 /इंदौर/2018 से उद्भूत)

निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्री आनंदराम होटचंद, इंदौर	बनाम	आयकर उपायुक्त 1(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएचपीएच 4516 एम		

राजस्व की ओर से :	श्री अमित सोनी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
निर्धारिती की ओर से :	सुश्री शालिनी मेहता, सीए
सुनवाई तिथि :	07.10.2021
उद्घघोषणा तिथि :	02.11.2021

आदेश

<u>न्यायपीठ द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित राजस्व की उपरोक्त शीर्षक की अपील तथा निर्धारिती द्वारा प्रत्याक्षेप विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, इंदौर के आदेश दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध निदेशित हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदनों दिनांक 30.09.2021 के द्वारा निवेदन किया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए “विवाद से विश्वास योजना,2020” के तहत आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा फार्म सं. 3 जारी किया गया है । अतः निर्धारिती उसके द्वारा दाखिल प्रत्याक्षेप को वापिस लेना चाहता है । इसके अतिरिक्त निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि निर्धारिती ने अपेक्षित करों का भुगतान कर दिया है, अतः विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष दाखिल अपील को वापिस लिया गया माना जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि (विप्र) ने निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध का विरोध नहीं किया है ।

3. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । प्रकरण के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, हम एतद् द्वारा विभागीय अपील तथा निर्धारिती द्वारा दाखिल प्रत्याक्षेप को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते है ।

4. यद्यपि, निर्धारिती/विभाग विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगें यदि निर्धारिती का इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

5. परिणामतः, विभागीय अपील तथा निर्धारिती का प्रत्याक्षेप वापिस लिए जाने के कारण खारिज किए जाते हैं ।

यह आदेश 02.11.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(महावीर प्रसाद)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 02.11.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल